मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएम–सीएसबीवाई)

31-03-2021

श्रेणीवार पात्र परिवारों का विवरण

लाभार्थी परिवारः बजट घोषणा 2021–22 के अनुसार योजनार्न्तगत निम्न पात्र परिवारों की श्रेणियां होंगी–

- **श्रेणी–1ः** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार।
- **श्रेणी–2ः** सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार।
- **श्रेणी–3ः** संविदा कार्मिक।
- **श्रेणी–4ः** लघु एवं सीमान्त कृषक।
- **श्रेणी–5ः** वें अन्य परिवार जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मेडिक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अर्न्तगत लाभ नहीं ले रहे है, प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते है।

योजना में लाभ लेने के लिए पंजीकरण

<u>पंजीकरण की प्रक्रिया–</u>

- योजना अर्न्तगत 1 अप्रेल 2021 से पंजीकरण आरंभ होगा
- इसके लिए पात्र परिवार को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।
- रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड का नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
- पंजीकरण के दौरान ओ.टी.पी./बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन के माध्यम से परिवार का ई–प्रमाणीकरण किया जायेगा।

श्रेणीवार पंजीकरण की प्रक्रिया–

- श्रेणी–1 (खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार)
- श्रेणी–2 (सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार)

ये लाभार्थी पूर्व में ही जनआधार कार्ड से जुडे हुए है अतः इनका पंजीयन नहीं किया जाना है।

श्रेणी–3 (संविदा कार्मिक):–

- संविदाकर्मी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई–मित्र के माध्यम से उक्तानुसार पंजीयन करवा सकेंगे जिसे सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा।
- संबंधित विभाग द्वारा भी विभाग में कार्यरत संविदाकार्मिको की सूचना विभागीय पोर्टल पर भरी जा सकेगी।
- उक्त डेटाबेस को सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।

श्रेणी–4 (लघु एवं सीमान्त कृषक):–

- लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुडे हुए नही है, वें ई–मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जनआधार कार्ड में Land Holding की सीडींग करवा सकेंगे।
- सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई–मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।

श्रेणी–5 (अन्य परिवार):

- ऐसे परिवार जो उपरोक्त 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की मेडीक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अर्न्तगत लाभान्वित नहीं है, वह 50 प्रतिशत प्रीमियम भुगतान कर योजना से जुड सकते है।
- परिवार को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई–मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा।
- प्रीमियम राशि के रूप में 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष सम्बन्धित ई मित्र केन्द्र के माध्यम से अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण अभियान

- **अवधिः** दिनांक **1 अप्रेल 2021 से 10 अप्रेल 2021** से संचालित।
- **शिविर स्थलः** ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र/स्कूल अथवा ई–मित्र केन्द्र।
- शहरी क्षेत्रों में वार्डवार शिविर।
- **पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज–**परिवार का जनआधार कार्ड/जनआधार कार्ड पंजीयन रसीद एवं आधार कार्ड।
- **मोबिलाइलेशनः** संभावित पात्र परिवारों का आंगनवाडी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम आदि स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग से मोबिलाइलेशन।

शिविर दल

क्र.स.	पद नाम	कार्य
1	ग्राम विकास अधिकारी	शिविर की सम्पूर्ण व्यवस्था करना।
2	पटवारी	जमाबंदी की प्रतिलिपी जारी करना।
3	कृषि पर्यवेक्षक	लघु एवं सीमान्त कृषकों को शिविर तक लाना।
4	आंगनवाडी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम	शिविर का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
5	ई मित्र (प्रति 50 व्यक्तियों के पंजीकरण हेतु 1 ई मित्र)	लाभार्थियों का पंजीयन करना।

शहरी क्षेत्र– शहरी क्षेत्र में पंजीयन शिविर हेतु समस्त व्यवस्थाएं सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी।

शिविर निगरानी दल

क.स.	जिला स्तरीय दल
1	जिला कलक्टर
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4	संयुक्त निदेशक– डीओआईटी
5	उप निदेशक–कृषि विभाग

क.स.	ब्लॉक स्तरीय दल
1	उपखण्ड अधिकारी
2	खण्ड विकास अधिकारी
3	खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4	कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त नगरीय निकाय
5	प्रोग्रामर– डीओआईटी

आईईसी–

- **बजट:** प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समिति को रूपये 1,50,000/– का बजट आवंटन किया जायेगा।
- **आईईसी सामग्री:** आईईसी सामग्री की प्रिंटिग हेतु सीडीआर एवं जेपीजी फाइल योजना की आधिकारिक वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर उपलब्ध।
- महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन हेतु राज्य स्तर से भी आईईसी सामग्री प्रेषित की जायेगी।

- योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत '**पॉलिसी दस्तावेज**' डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है जिसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा।
- लाभार्थी ई मित्र कियोस्क को निर्धारित शुल्क का भुगतान कर पॉलिसी दस्तावेज का प्रिंट ले सकेंगे।
- प्रत्येक लाभार्थी को योजना की जानकारी देने के लिए योजना का पेम्पलेट भी दिया जायेगा।

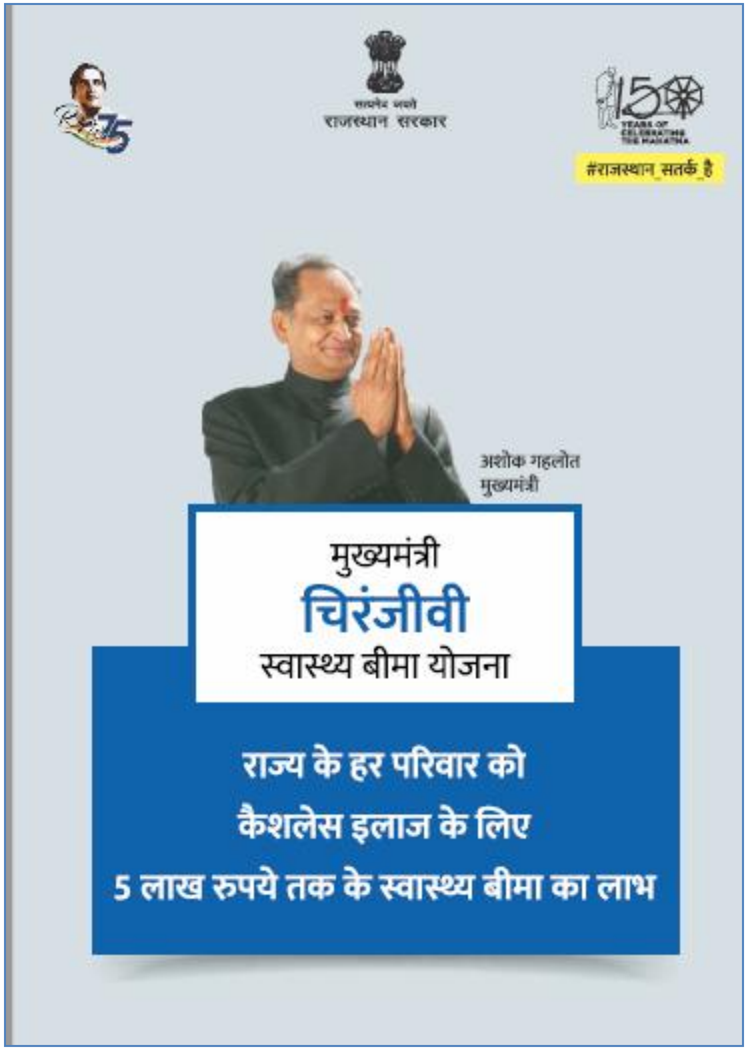

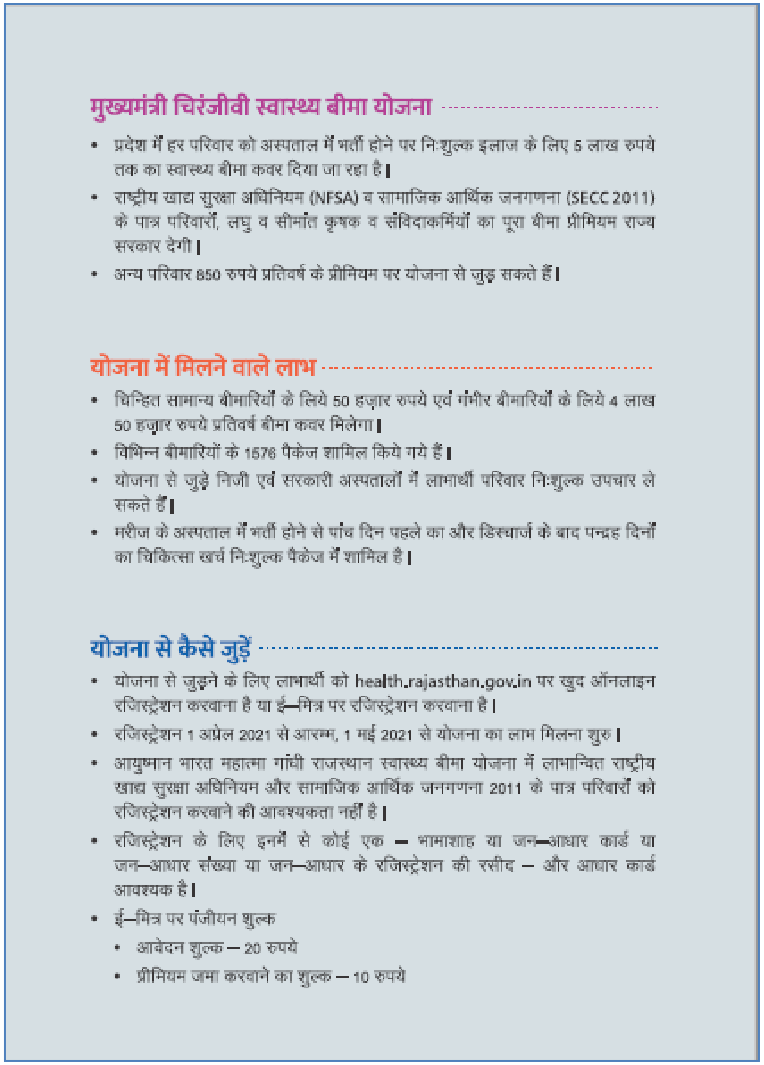

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

- प्रदेश में हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) व सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवारों, लघु व सीमांत कृषक व संविदाकर्मियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी।
- अन्य परिवार 850 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं।

योजना में मिलने वाले लाभ

- चिन्हित सामान्य बीमारियों के लिये 50 हज़ार रुपये एवं गंभीर बीमारियों के लिये 4 लाख 50 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष बीमा कवर मिलेगा।
- विभिन्न बीमारियों के 1576 पैकेज शामिल किये गये हैं।
- योजना से जुड़े निजी एवं सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार निःशुल्क उपचार ले सकते हैं।
- मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद पन्द्रह दिनों का चिकित्सा खर्च निःशुल्क पैकेज में शामिल है।

योजना से कैसे जुड़ें

- योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी को health.rajasthan.gov.in पर खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है या ई–मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवाना है।
- रजिस्ट्रेशन 1 अप्रेल 2021 से आरम्भ, 1 मई 2021 से योजना का लाभ मिलना शुरु।
- आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है।
- रजिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कोई एक – भामाशाह या जन–आधार कार्ड या जन–आधार संख्या या जन–आधार के रजिस्ट्रेशन की रसीद – और आधार कार्ड आवश्यक है।
- ई–मित्र पर पंजीयन शुल्क
  - आवेदन शुल्क – 20 रुपये
  - प्रीमियम जमा करवाने का शुल्क – 10 रुपये

Pamphlet

Policy Document

राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

प्रिय बिमला जी,

निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने और ज़रूरतमंद परिवारों को नज़दीकी सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर निःशुल्क इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना** की शुरुआत की गई है।

आपको जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में पहली बार हर परिवार को निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है।

आपके परिवार को पॉलिसी वर्ष में **अस्पताल में भर्ती होने पर** सामान्य बीमारियों के लिए 50 हज़ार और गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हज़ार रुपये का निःशुल्क इलाज देय है। विभिन्न बीमारियों के लिए 1576 पैकेज व प्रोसिजर्स उपलब्ध हैं। पैकेज में मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गयी जांचें, दवाइयाँ एवं डॉक्टर की फीस का खर्च भी शामिल है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना में ओ.पी.डी. से सम्बन्धित दवाएं और जाँचें सरकारी अस्पतालों में पहले से ही निःशुल्क हैं।

मैं आपके परिवार के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ।

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

जन आधार कार्ड संख्या 4822532174 बीमा अवधि 30 जनवरी 2021 (00:00:00) - 29 जनवरी 2022 (23:59:59)

पता वार्ड संख्या – 03 जिला नागौर

पिन संख्या 341503 मोबाइल नम्बर 87168 89977

क्र. सं.	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1.	बिमला देवी	स्त्री	21.06.84
2.	अशोक कुमार	पुरुष	02.04.84
3.	श्रेया	स्त्री	27.03.11
4.	राम	पुरुष	26.09.13

- योजना से जुड़े सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज कराया जा सकता है।
- जन्म/मृत्यु/विवाह के कारण परिवार के सदस्यों में बदलाव होने पर जन आधार कार्ड में तुरंत संशोधन करवाएं।
- इलाज के लिए अस्पताल जाएं तो अपना जन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड रसीद या आधार कार्ड और यह पॉलिसी दस्तावेज़ अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं।
- योजना से जुड़े अस्पतालों और अन्य जानकारी के लिए 1800 180 6127 पर फोन करें या योजना की वेबसाइट health.rajasthan.gov.in/mmcsby देखें।

Backdrop for Camp

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

#राजस्थान_सतर्क_है

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

राज्य के हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ

1 अप्रेल 2021 से रजिस्ट्रेशन ❯ 1 मई 2021 से योजना का लाभ

योजना की खास बातें

- योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर (IPD) कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना में ओ.पी.डी. से सम्बन्धित दवाएं और जाँचें सरकारी अस्पतालों में पहले से ही निःशुल्क हैं।
- सामान्य बीमारी के लिए 50 हज़ार रुपये और गंभीर बीमारी के लिए 4 लाख 50 हज़ार रुपये तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष का बीमा
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवारों, लघु व सीमांत कृषक व संविदाकर्मियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी।
- अन्य परिवार 850 रुपये के मामूली प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं

- योजना की वेबसाइट health.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन स्वयं करें या नज़दीकी ई-मित्र पर जाएं
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है
- रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
  - आधार कार्ड
  - भामाशाह या जन-आधार कार्ड या जन-आधार संख्या या जन-आधार रजिस्ट्रेशन रसीद में से कोई एक

अधिक जानकारी के लिए 1800 180 6127 पर फोन करें या विभाग की वेबसाइट health.rajasthan.gov.in/mmcsby देखें

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी ▪ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान

शिविर व्यवस्थाएं–शिविर के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं यथा बिजली, पानी, बैठक व्यवस्था आदि सम्बन्धित पंचायती राज/नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी।

पंजीयन शुल्कः योजनान्र्तगत पंजीकरण हेतु ई मित्र कियोस्क द्वारा निम्न शुल्क लिये जायेंगे–

- पंजीयन के लिए आवदेन शुल्क रू 20/–
- प्रीमियम संग्रहण शुल्क रू10/–

जिला प्रशासन से अपेक्षाएं

- दिनांक 10 अप्रेल 2021 तक जिलें की सभी ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन।
- शिविरों में कोविड–19 गाइडलाइन जैसे सोशल डिस्टेन्सिंग एवं मास्क पहनने आदि की पालना की सुनिश्चितता।
- कोविड–19 गाइडलाइन एवं कृषि कार्य के दृष्टिगत संभवतया सांयकालिन शिविरों का आयोजन।
- ग्राम पंचायतवार/वार्डवार शिविर आयोजन का प्लान तैयार कर राज्य स्तर पर भिजवाना।

- पेम्पेलट की रंगीन प्रति प्रिंटिंग एवं प्रत्येक शिविर में उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- योजना के संभावित लाभार्थी यथा लघु एवं सीमांत कृषकों का डेटा शिविर प्रभारी को उपलब्ध करवाना।
- आंगनवाडी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम आदि स्थानीय कार्यकर्ताओं का मोबिलाइलेशन में सहयोग।

धन्यवाद

Budget Announcement 2021-22

	District	CHC	SDH	Satellite	DH	TC	Bed Increase
1	Ajmer				Y.N. Kishangarh		Arai
2	Alwar	Esroda	Bhiwari, Bahrod				
3	Baran		Mangrol			Anta	
4	Barmer				Balotra	Chohtan	Dhorimana
5	Bharatpur	Awar				Halena	
6	Bhilwara	Bhagwanpura			Shahpura		
7	Bikaner				Nokha	Kolayat	
8	Churu						Taranagar
9	Dausa	Guda Katla, Balahedy, Manpur, Abhaneri	Lalsot				Mahuwa

	District	CHC	SDH	Satellite	DH	TC	Bed Increase
12	Hanumangarh	Goga Medi					
13	Jaipur I		Shapura, Bassi, Jamwaramgarh, Phagi	Kishanpol			Manoharpura
14	Jaipur II	Khonagorian	Chaksu	Sanganer			
15	Jaisalmer		Pokran				
16	Jhunjhunu	Islampur				Udaipurwati	
17	Jodhpur	Pilwa	Salawas				
18	Karauli				Hindon		
19	Nagaur		Makrana, Parabatsar			Kuchaman City, Ladnu	Nawa
20	Pali		Bali				
							Khandar

	District	CHC	SDH	Satellite	DH	TC	Bed Increase
22	Sikar		Fatehpur		Neemkathana		
23	Sirohi				Sheoganj		
24	Sri Ganganagar	Mirjewala, 17 Z , 61 F , Binjbayla					
25	Udaipur			Vallabhnagar	Salumbar		

- Report in format with name of post (Speciality wise), Sanctioned with there budget head (Plan/Non-
  Plan/ Mndy / Mnjy etc.)
- Identify land specially for Trauma Centre nearest to the hospital
- Report by tomorrow in soft and hard copies on email:- jd-plan-rj@gov.in

Thanks